[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 34/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितंबर, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2933 61 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 15/17/2014-डीजीएडी, दिनांक 05 दिसम्बर, 2015, जिसे 05 दिसम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि–

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की लगातार भरमार हो रही है ।
(ii) इस भारी आयात से घरेलू उद्योग को क्षति होती जा रही है ।
(iii) प्रतिपाटन शुल्क को वापस लिए जाने या इसको समाप्त किए जाने से विषयगत देश से यहां विषयगत वस्तु की भरमार और उससे घरेलू बाजार को होने वाली क्षति के आगे भी जारी रहने और इसके और भी गंभीर होने की संभावना है ।

और घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ।

और जहां कि मैसर्स क्यूतून जिंजिंआग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और फौशान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार उस निर्यात के बारे में समीक्षा करने का अनुरोध किया है जो कि उनके द्वारा विषयगत माल का निर्यात किया गया है, और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नए शीपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/11/2017-डीजीएडी, दिनांक 01 जनवरी, 2018 जिसे 01 जनवरी,

2018 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उन सभी विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यातकों के अनंतिम आंकलन की सिफारिश की है जिसका निर्यात उपर्युक्त पार्टी ने किया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की इसके द्वारा समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है और इसको सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 248 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 7/11/2017-डीजीएडी, दिनांक 19 जून, 2019, जिसे दिनांक 19 जून, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निर्णय पर पहुँचें हैं कि:-

(i) भारत को किए जाने वाले निर्यात के फैक्ट्री मूल्य के मूल्यांकन की दृष्टि से निर्यातक अर्थात मैसर्स फौशान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कं.लि. (निर्यातक) को की जाने वाली बिक्री के संदर्भ में उत्पादक द्वारा जितनी मात्रा का निर्यात किया गया था वह बिल्कुल वाजिब थी;

(ii) उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान इस विषयगत वस्तु को 'डम्प्ड' कर रखा है; और

(iii) 30-35% तक की डंपिंग मार्जिन (अंतिम निष्कर्षों के पैरा 30 में यथा संदर्भित) उत्पादक अर्थात मैसर्स क्यूतून जिंजिआग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) को प्रतिपाटन शुल्क के रूप में दी गई थी ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"4.	2933 61 00	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स क्यूतून जिंजिआग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	मैसर्स फौशान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कं.लि.	319.04	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

5.	2933 61 00	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स क्यूतून जिंजिआग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	मैसर्स फौशान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कं.लि. से भिन्न अन्य कोई	331.10	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	2933 61 00	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	मैसर्स क्यूतून जिंजिआग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	कोई भी	331.10	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर";

(ii) इस सारणी और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

"स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत किए गए सभी अनंतिम मूल्यांकन, अंत में उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट प्रविष्टियों के तहत मूल्यांकन किए जाएंगे।"

[फाइल संख्या 354/319/2011 –टीआरयू (पार्ट-III(]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016 को सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।